संख्या-19/2025/I/869883/2025/71-1002(002)/27/2021

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 **लखनऊ:दिनांक 04 फरवरी, 2025**

विषय:-वित्तीय वर्ष 2024-25 में राजकीय मेडिकल कालेज, कन्नौज/जालौन/अम्बेडकर नगर/सहारनपुर में नेटवर्किंग/कम्प्यूटरइजेशन से सम्बन्धित आवश्यक उपकरणों के क्रय हेतु प्रशासकीय एंव वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-एम0ई0/पर्चेज/2024-25/851, दिनांक 03.01.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान संख्या-83 के अंतर्गत राजस्व लेखापक्ष में लेखाशीर्षक 2210-05-789-0307-मेडिकल कालेजों में नेटवर्किंग सुविधा/कम्प्यूटराइजेशन के मानक मद-46-कम्पयूटर/हार्डवेयर/साफ्टवेयर मद में प्रावधिानित बजट रू0 60.00 लाख प्रशासकीय एंव वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने का अनुरोध किया गया है ताकि राजकीय मेडिकल कालेज, कन्नौज/जालौन/अम्बेडकर नगर/सहारनपुर में नेटवर्किंग/कम्प्यूटरइजेशन से सम्बन्धित आवश्यक उपकरणों के क्रय हेतु प्रति मेडिकल कालेज रू0 15.00 लाख की धनराशि आवंटित की जा सके।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय मेडिकल कालेज, कन्नौज/जालौन/अम्बेडकर नगर/सहारनपुर में नेटवर्किंग/कम्प्यूटरइजेशन से सम्बन्धित आवश्यक उपकरणों के क्रय हेतु प्रति मेडिकल कालेज रू0 15.00 लाख की धनराशि आवंटित किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान संख्या-83 के अंतर्गत राजस्व लेखापक्ष में लेखाशीर्षक 2210-05-789-0307-मेडिकल कालेजों में नेटवर्किंग सुविधा/कम्प्यूटराइजेशन के मानक मद-46-कम्पयूटर/हार्डवेयर/साफ्टवेयर मद में प्रावधिानित बजट रू0 60.00 लाख (रू0 साठ लाख) की प्रशासकीय एंव वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है-:

नियम व शर्तें/प्रतिबन्ध-

1. सुसंगत वित्तीय व क्रय नियमों और प्रावधानों का पालन करते हुये पारदर्शी प्रक्रिया के तहत आवश्यक और उपयोगी उपकरण क्रय किये जायें। सभी उपकरणों की विशिष्टियों, गुणवत्ता,

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

नियमानुसार युक्तिसंगत दरों के निर्धारण के साथ सम्बन्धित फर्म की शुचिता आदि की जिम्मेदारी सम्बंधित प्रधानाचार्य/निदेशक/कुलपति की होगी।

2. उपकरणों की गुणवत्ता एवं निर्धारित मानक के अनुसार आपूर्ति प्राप्त किये जाने का दायित्व संबंधित प्रधानाचार्य/निदेशक/कुलपति का होगा।

3. उपकरणों के क्रय के उपरान्त विभागीय बजट में अवमुक्त धनराशि का उपभोग प्रमाणपत्र निर्धारित प्रारूप पर वित्त नियंत्रक/वित्त अधिकारी द्वारा चिकित्सा शिक्षा विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।

4. स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग उन्हीं कार्यों/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्हीं अन्य कार्यों/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।

5. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण कोषागार से वास्तविक आवश्यकतानुसार तभी किया जायेगा, जब उपकरणों के क्रय की सम्पूर्ण प्रक्रिया पूर्ण हो जाए। स्वीकृत की जा रही धनराशि डाकघर अथवा बैंक खाते में अनावश्यक नहीं रखी जायेगी।

6. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024 दिनांक 04.03.2024 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

7. सूची में अनुमोदित उपकरणों का क्रय चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में ही सुनिश्चित किया जायेगा। आगामी वित्तीय वर्ष में क्रय किये जाने की दशा में पुनः सूची पर अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

8. यह भी सुनिश्चित कर लिया जाए कि प्रश्नगत उपकरणों की स्थापना हेतु स्थान, भवन आदि उपलब्ध हैं तथा संचालन हेतु मानव संसाधन उपलब्ध है।

9. उपलब्ध कराये गए प्रस्ताव में इंगित/अनुमानित दरों के आधार पर उक्त स्वीकृति प्रदान की जा रही है। इसके आधार पर ही नियमानुसार अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी।

10. उपकरणों के कय में 05 वर्ष की वारण्टी/सी0एम0सी0/ई-प्रोक्योरमेन्ट में इस बिन्दु को अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाय।

11. उपकरणों का क्रय वित्तीय वर्ष 2024-25 में अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष ही किया जायेगा।

12. वास्तविक आवश्यकता/उपयोगिता के आधार पर ही उपकरणों के क्रय की कार्यवाही नियमानुसार सुनिश्चित की जायेगी।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय रुपये 60,00,000 (रुपये साठ लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आयव्ययक मे- **अनुदान संख्या** 083 **लेखा शीर्षक** 2210057890307 मेडिकल कालेजों में

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

नेटवर्किंग सुविधाकम्प्यूटराईजेशन/ **मानक मद** 46 कम्प्यूटर हार्डवेयरसाफ्टवेयर का क्रय/ के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-अनुभाग (व्ययक-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024-बी/1-294-दस/ 2024-231/2024, दिनांक 04.03. 2024में प्रशासकीय विभाग को उक्त प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

मनोज कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्यातद्दिनांक /, उपर्युक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -:

1. महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. वित्त नियंत्रक, निदेशालय, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0खनऊ। 0प्र0
3. प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, अम्बेडकर नगर, कन्नौज, जालौन, सहारनपुर।
4. वित्त नियंत्रक, राजकीय मेडिकल कालेज, अम्बेडकर नगर, कन्नौज, जालौन, सहारनपुर।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, राजकीय मेडिकल कालेज, अम्बेडकर नगर, कन्नौज, जालौन, सहारनपुर।
6. नोडल अधिकारी, बजट एलाटमेण्ट सिस्टम, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ शासन। 0प्र0
7. नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ0प्र0 शासन।
8. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

मनोज कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।